भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1255
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की प्रगति

1255. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कामधेनु योजना की प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन पर आधारित आजीविका कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कामधेनु योजना के नाम से कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। हालांकि, विभाग ने आजीविका सृजन पर अधिक जोर देने के लिए गोपशु विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन को दिशा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) का गठन किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) की राज्यवार प्रगति अनुबंध-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन उत्पादकता और सतत आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है।

(ii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण कार्यान्वित किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत राठी, थारपारकर, हरियाना, कंकरेज नस्ल के गोपशुओं तथा जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसें शामिल हैं।

(iii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। एकल पीढ़ी में बोवाइन आबादी के

आनुवंशिक उन्नयन में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आईवीएफ मीडिया शुरू किया है।

(iv) सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन: विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी सीमन केंद्रों पर सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। 3 निजी सीमन केंद्र भी सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन कर रहे हैं।

(v) जीनोमिक चयन: गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, विभाग ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित किए हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप - जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

(vi) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित और उपकरणों से युक्त किया जाता है।

(vii) सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक की सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सुनिश्चित गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत के 50% तक सहायता मिलती है।

(viii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस तकनीक का उपयोग बोवाइन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति-पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन शामिल हैं: (i) पशुधन और पोल्ट्री का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन; (ii) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन और (iii) नवाचार, विस्तार संबंधी उप-मिशन। इन उप-मिशन के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

(क) पशुधन और पोल्ट्री का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप हैं: (I) नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित उप-कार्यकलाप शामिल हैं (i) ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना और (ii) जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना। (II) भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित उप-कार्यकलाप हैं: (i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना; (ii) राज्य वीर्य बैंक की स्थापना: (iii) मौजूदा गोपशुओं और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार (iv) विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज़्म का आयात (III) सूअर पालन उद्यमी को बढ़ावा देना (IV) सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के तहत निम्नलिखित उप-कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं: (i) सुअर वीर्य संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना और (ii) विदेशी सुअर जर्मप्लाज्म का आयात। (V) घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के लिए उद्यमियों की स्थापना। (VI) घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट का आनुवंशिक सुधार: (i) घोड़े, गधे और ऊंट के लिए क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन; (ii) घोड़े / गधे / ऊंट जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए न्यूक्लियस नस्ल फार्म और (iii) नस्ल पंजीकरण सोसायटी।

(ख) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन: आहार और चारा संबंधी उप-मिशन निम्नलिखित कार्यकलापों को कवर कर रहा है: (I) गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता। (II) आहार और चारा में उद्यमशीलता कार्यकलाप। (III) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए उद्यमियों की स्थापना

(प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई / चारा बीज भंडारण गोदाम)। (IV) गैर-वन बंजर भूमि/रेंजलैंड/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन"।

(ग) नवाचार और विस्तार संबंधी उप मिशन: इस उप-मिशन के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप हैं: (I) अनुसंधान और विकास तथा नवाचार। (II) विस्तार कार्यकलाप। (III) पशुधन बीमा कार्यक्रम।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: यह योजना सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। इसके तहत डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, गोपशु-आहार और खनिज मिश्रण जैसी इनपुट सेवाएँ, तथा दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि सहकारी समितियों में नामांकित डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी): यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है। किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत: (i) एफएमडी के लिए 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए 35 करोड़ टीकाकरण शामिल हैं; और (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगभग 4.3 करोड़ बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीके लगाए गए हैं जिसमें वर्तमान वर्ष के दौरान 1.3 करोड़ बछड़ों का टीकाकरण शामिल है। पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और कस्टमाइजेशन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% आवर्ती परिचालन व्यय प्रदान किया जाता है ताकि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के जरिए किसानों के द्वार पर टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। एमवीयू के माध्यम से दी जाने वाली पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्यक्रिया हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाएं शामिल हैं। अब तक 28 राज्यों में 4016 एमवीयू चालू हैं और 65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

5. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) यह योजना (i) डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना और (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीके और औषधि उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करती है। एएचआईडीएफ की सफलता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.02.2024 को पूर्ववर्ती डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को एएचआईडीएफ में शामिल कर लिया गया है। अब कुल निधि 29110 करोड़ रुपये की है।

****

अनुबंध-।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) की राज्यवार प्रगति

क्र. सं	राज्य का नाम	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)			नस्ल चयन परियोजनाएं	संतति परीक्षण परियोजनाएं	उत्पादित सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक	आईवीएफ लैब की संख्या
		कवर किए गए पशु	किए गए एआई	लाभान्वित किसान				
1	आंध्र प्रदेश	6703014	11947592	3245239	-	1	-	2
2	अरुणाचल प्रदेश	3560	4005	1694	-	-	-	-
3	असम	1546166	1928149	1330405	-	-	-	-
4	बिहार	3326665	4344605	2403187	-	-	-	2
5	छत्तीसगढ	1749369	2254491	1070185	-	-	-	1
6	गोवा	22861	36990	8045	-	-	-	-
7	गुजरात	5282209	8212792	3241052	2	6	1718527	2
8	हरियाणा	596402	842113	437354	1	1	-	1
9	हिमाचल प्रदेश	1713986	2647297	1277469	-	-	-	1
10	जम्मू और कश्मीर	2194904	3649433	1503260	-	-	-	-
11	लद्दाख	6401	7559	5287	-	-	-	-
12	झारखंड	2410561	3064437	1684704	-	-	-	-
13	कर्नाटक	7671306	13927043	4983007	-	-	-	-
14	केरल	-	-	-	-	1	-	1
15	मध्य प्रदेश	7125204	8469635	4331197	-	-	780103	1
16	महाराष्ट्र	5145884	6682185	3411743	1	-	4710453	3
17	मणिपुर	23430	26137	13284	-	-	-	-
18	मेघालय	48873	75416	16154	-	-	-	-
19	मिजोरम	8050	10647	3826	-	-	-	-
20	नागालैंड	34391	40045	13965	-	-	-	-
21	ओडिशा	4631504	6067800	2938515	-	-	-	-
22	पंजाब	1195739	1896192	636970	1	2	-	2
23	राजस्थान	5439114	6982683	3881429	2	1	-	-
24	सिक्किम	38273	45725	29391	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	4636029	7515864	2229077	-	1	509914	2
26	तेलंगाना	2969500	3700229	1561698	-	-	-	1
27	त्रिपुरा	213423	266441	182774	-	-	-	-
28	उत्तर प्रदेश	12419287	18294708	7213255	-	-	2066148	1
29	उत्तराखंड	1369581	2070526	987569	-	-	1786185	1
30	पश्चिम बंगाल	4790104	7032290	3237806	-	-	-	1
	कुल	83315790	122043029	51879541	7	13	11571330	22

अनुबंध- ॥

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनडीडीबी	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	कुल
1	आंध्र प्रदेश	439.74	3181.38	5652.385	1546	3538.38	14357.89
2	अरुणाचल प्रदेश	544.7	1240.8	397.08	467.16	1965.31	4615.05
3	असम	0	0	227.97	3658.19	723.25	4609.41
4	बिहार	1230.95	7401.08	3076.14	4928.63	0.00	16636.8
5	छत्तीसगढ	1019.78	101.25	841.65	402	0.00	2364.68
6	गोवा	97.72	0.00	0.00	0	0.00	97.72
7	गुजरात	942.88	101.25	2735.311	2222.82	6542.58	12544.84
8	हरियाणा	423.48	1796.39	1775.6	1173.66	0.00	5169.13
9	हिमाचल प्रदेश	519.42	484.25	5586.58	0	0.00	6590.25
10	जम्मू और कश्मीर	791.99	81	1533.93	2539.35	0.00	4946.27
11	झारखंड	540.46	101.25	2244.525	1500	0.00	4386.235
12	कर्नाटक	756.47	101.25	1996.46	3562.48	2651.31	9067.97
13	केरल	301.03	313	314	1284.12	6546.27	8758.42
14	मध्य प्रदेश	2155.86	2113.44	6024.963	9049.51	4903	24246.77
15	महाराष्ट्र	1479.71	202.5	0	0	3261.5	4943.71
16	मणिपुर	730.74	500.64	294.98	166.69	0.00	1693.05
17	मेघालय	0	2039.22	738.21	0	0.00	2777.43
18	मिजोरम	0	268.28	154.11	138.69	847.37	1408.45
19	नागालैंड	0	372.06	494.7	608.86	466.2	1941.82
20	ओडिशा	1090.33	0	3480.425	1374.25	0.00	5945.005
21	पंजाब	2849.33	714.13	0.00	232	0.00	3795.46
22	राजस्थान	1386.15	405	2254.77	250	250	4545.92
23	सिक्किम	677.98	0	268.78	572.42	1097.87	2617.05
24	तमिलनाडु	536.08	2168.38	2663	3347	10996.05	19710.51
25	तेलंगाना	2522.6	202.5	2439.76	0	3153.13	8317.99
26	त्रिपुरा	1066.58	0	2524.17	0	0	3590.75
27	उत्तर प्रदेश	3334.94	1012.5	2941.36	7671.25	9642.18	24602.23
28	उत्तराखंड	508.77	3023.45	2115.44	1885.75	6083	13616.41
29	पश्चिम बंगाल	1026.06	202.5	1213.371	2037.35	6500	10979.28
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	लद्दाख		105	0	0	0.00	105
36	पदुचेरी	0	0	144.44	0	0.00	144.44
37	एनडीडीबी	0	11618.89	12042.9	8893.76	16782.63	49338.18
	कुल	26973.75	39851.39	66177.01	59511.94	85950.03	278464.1